राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :– महेश चन्द्र मान (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
15/2017	07.06.2017	23.06.2017

उनवान

1. विधोत्मा देवी पत्नी भीमसिहं जाति जाट निवासी झझारपुर तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0

.......प्रार्थीया

बनाम

1. सुगन सिहं पुत्र भवर सिहं जाति राजपूत निवासी झझारपुर तह0 मुण्डावर अलवर
2. तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर राज0

.... अप्रार्थीगण

–:प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 आर0टी0एक्ट0:–

उपस्थितिः–श्री दयाराम तंवर योग्य अधिवक्ता प्रार्थीया की ओर से

–:निर्णयः–

23.06.2017 आज यह पत्रावली पेश की गई। प्रार्थीया के अधिवक्ता उपस्थित है। प्रार्थीया ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 आरटीएक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आराजी ख.नं. 222 रकबा 0.80 हैक्ट. वाके ग्राम झझारपुर तह0 मुण्डावर में स्थित है जो आराजी मिन प्रार्थीया की खरीदशुदा आराजी है जिसका काफी समय से उपयोग उपभोग करती आ रही है तथा मौके पर आज भी काबिज है जो खाली खेत है। उक्त आराजी ख.नं. 222 के लगता हुआ आराजी ख.नं. 221 जो अप्रार्थी सं. 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में है लेकिन मौके पर मिन प्रार्थीया की भूमि करीब 3 मीटर कम है जबकि मिन प्रार्थीया के राजस्व रिकार्ड के मुताबिक रकबा 0.80 को होना चाहिये था। प्रार्थीया ने आराजी की पैमाईश दिनांक 09.08.2016 को तहसीलदार मुण्डावर के आदेश से पत्थरगढी कराई गई थी। तथा मौके पर निशानात कायम किये गये थे। मिन प्रार्थीया ने पत्थरगढी कराने हेतू तहसीलदार मुण्डावर व अप्रार्थी सं. 1 से कहा तो आना कानी करने लगे जिससे मिन प्रार्थीया को अपनी आराजी में फसल बोने में विलम्ब हो रहा है तथा मौके पर आज भी काफी पेड अनार के खडे हुये है लेकिन बिना पत्थरगढी के मौके पर तारबन्दी आदि करने में काफी परेशानी उठानी पड रही है। इसलिय मिन प्रार्थीया उक्त आराजी पर मुताबिक पैमाईश पूरी भूमि को कब्जे में लेकर तारबंदी,पत्थरगढी कराना चाहती है।

मिन प्रार्थीया ने निवेदन किया है कि आराजी ख.नं. 222 रकबा 0.80 हैक्ट. वाके ग्राम झझारपुर तह0 मुण्डावर की मुताबिक पैमाईश के मौके पर पत्थरगढी कराये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 आर.टी.एक्ट. दर्ज रजिस्टर किया गया।

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner

प्रार्थीया की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि सीमाज्ञान पैमाईश दिनांक 25.06.2016 पेश किये गये।

पत्रवाली, पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं वकील प्रार्थीया की बहस पर गहनता से मनन किया गया।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 आरटीएक्ट. जायज है। साबित है। न्यायालय प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 आरटीएक्ट स्वीकार योग्य पाया जाता है।

–:आदेश:–

न्यायालय प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 आरटीएक्ट. स्वीकार किया जाकर तहसीलदार मुण्डावर को आदेश दिया जाता है कि वो आराजी ख.नं. हाल 222 रकबा 0.80 हैक्ट. वाके ग्राम झझारपुर तह. मुण्डावर की पैमाईश दिनांक 25.06.2016 के मुताबिक मौके पर पीलर से पुख्ता पत्थरगढी करवाये।

यह निर्णय आज दिनांक 23.06.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से सुनाया गया।

(महेश चन्द मान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner